<u>ई-अधियाचन/ अतिमहत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या- 8/2024/382/सैंतालीस-का-5-2024</u>

प्रेषक,

एम० देवराज,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष / स्वायत्तशासी संस्थान,
उत्तर प्रदेश।(विभाग के माध्यम से)

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊ, दिनांक : 16-09-2024**

विषय-ई-अधियाचन पोर्टल पर विभागों द्वारा अंकित की जा रही सूचना एवं लम्बित अधियाचनों के संबंध संबंध में।

महोदया / महोदय,

प्रदेश के सभी विभागों के समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग, प्रयागराज तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को अधियाचन ऑनलाइन माध्यम से भेजने हेतु ई-अधियाचन पोर्टल विकसित किया गया है। शासन द्वारा समय समय समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा ई-अधियाचन पोर्टल के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी जारी किए गए हैं। विभिन्न विभागों / विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से से अधियाचन प्रेषित किये जाने के संबंध में कृत कार्यवाही की उच्च स्तर पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई- अधियाचन पोर्टल पर निम्नवत कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया है:-

1. ई-अधियाचन पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में विभागों द्वारा अंकित की जा रही सूचना में परिलक्षित हो रही त्रुटियों का निराकरण कराते हुए सूचना अद्यतन करायी जाए। यह भी अनुरोध है कि वर्तमान में पोर्टल पर परिलक्षित हो रही सूचना/विवरण को पुन: चेक कर लिया लिया जाय और सुनिश्चित किया जाय कि अंकित सूचना में पदों की संख्या की पुनरावृत्ति ना हो।

   हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. आयोग द्वारा आपत्तिके साथ वापस किये गये अधियाचनों में समस्त आपत्तियों का तत्काल निराकरण करते हुए 15 दिवसों में संशोधित अधियाचन आयोग को प्रेषित किये जाए।

3. ऐसे अधियाचन जो अभी विभाग स्तर पर ही प्रक्रियाधीन है, उनमें तत्काल समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए आयोग को अधियाचन प्रेषित किया जाए।

4. ई-अधियाचन पोर्टल पर ऑनबोर्ड विभागों एवं विभागांतर्गत स्थापित कार्यालयों की मैपिंग एन०आई०सी० द्वारा की जाए ताकि किसी विभाग के सापेक्ष कुल रिक्तियों / अधियाचन की गणना में विभाग / विभागांतर्गत स्थापित कार्यालयों की पूर्ण सूचना एक साथ दर्शित हो सके।

   सके।

5. ई-अधियाचन पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी विभिन्न मानिटरिंग रिपोर्ट को अधियाचन / पद पद की संख्या के आधार पर समुचित सार्टिंग की व्यवस्था एन०आई०सी० द्वारा की जाए ताकि सूचना का परीक्षण हो सके।

   अत: अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।

संख्या-382(1)/सामान्य/सैंतालीस-का-5-2024तद्दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज एवं सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि आयोग द्वारा स्वीकृत एवं आयोग पर प्रक्रियाधीन अधियाचनों में अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने का कष्ट करें।

2- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश।

3- श्री नवनीत प्रधान, वरिष्ठ निदेशक (आई०टी), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-4 व 5 में अपेक्षित कार्यवाही अविलम्ब कराने कराने का कष्ट करें।

4- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in